

इसे वेबसाइट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 15 जनवरी 2026-पौष 25, शक 1947

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2026

PHME-0044-2026-सत्रह-M-1.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, अलिपिकीय (संचालनालय स्वास्थ्य सेवा से संबंधित) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 1989 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची-तीन में, अनुक्रमांक 46 के सामने, कॉलम (5) में, शब्द तथा अंक "आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण" के स्थान पर, शब्द, चिन्ह एवं अंक "कम से कम हाई स्कूल/दसवीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है" स्थापित किए जाएं.

PHME-0044-2026-XVII-M-1.- In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Public Health and Medical Education Department Non-Ministerial (related to the Directorate of Health Services) Class-III Service Recruitment Rules, 1989, namely :-

AMENDMENT

In the said rules, in Schedule-III, in column (5), against serial number 46, for the words and figure "Must have passed 8th Class Examination", the words, symbol and figure "Must have passed minimum High School/ 10th class" shall be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मलिका निगम नागर, उपसचिव.